संख्या-7/2023/41/तेइस-7-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन-ग वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2023

विषय:- स्व0 जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-10413व्यग/02व्यग(22)/2022, दिनांक 30-12-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, सहपठित प्रथम संशोधन नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर का उपचार मेंदाता हॉस्पिटल, लखनऊ में दिनांक 23-04-2022 से 09-05-2022 तक भर्ती होकर कराये गये चिकित्सा पर दावा की गयी व्यय धनराशि रू0 6,62,068/- (रूपये छः लाख बासठ हजार अरसठ मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 5,63,888/- (रूपये पॉच लाख तिरसठ हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र) की प्रतिपूति स्व0 जगदीश प्रसाद की पत्नी श्रीमती प्रमिला को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूति दावें का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है एवं भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-54 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन- 04-कार्यकारी-49-चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-7/2023/41(1)/तेइस–7–2023-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी,बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर ।
5- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
7- अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या-अम्बेडकरनगर वृत्त, लो0नि0वि0, अयोध्या ।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर।
9- श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम मुबारकपुर डैयाडीह, तहसील अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।
10- गार्ड पत्रावली हेतु।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।